राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंदकुमार साय का दौरा कार्यक्रम

रायगढ़। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंदकुमार साय 17 जुलाई को प्रातः 10 बजे ग्राम भगोरा से प्रस्थान कर रायगढ़ सर्किट हाऊस आयेंगे। श्री साय दोपहर 2.26 बजे रायगढ़ से रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी का दौरा कार्यक्रम

रायगढ़। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी 13 जुलाई को बिलासपुर से प्रस्थान कर दोपहर 12.29 बजे रायगढ़ आयेंगे। श्री सवन्नी शाम 4.13 बजे रायगढ़ से बिलासपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

शादी का झांसा देकर आदिवासी बाला का दैहिक शोषण करने वाले को उम्रकैद

रायगढ़। आदिवासी बाला को शादी का झांसा देकर उसका दो साल तक शारिरिक शोषण करने वाले युवक को अदालत ने आज आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया मामला लैलूगा के मुड़ेगाव का हैं यह फैसला (अजाज) की विशेष न्यायाधीश विजय कुमार होता ने दिया जिसमें अभियोजन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार श्रीवास्तव ने की पुरा मामला इस प्रकार हैं मुड़ेगाव का शकील खान दो साल से गांव की खड़िय आदिवासी बाला को शादी का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण कर रहा था जिससे वह गर्भवती हो गयी जिसकी जानकारी उसने अपने माता पिता को दी तो 27 अगस्त 15 को मामले की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करायी जिसमें विवेचना उपरांत चालान अदालत में पेश किया गया बालिका के नाबालिग होने और पूरे मामले पर गौर करने व साक्ष्यों के सबूतों, गवाहों के बयान के आधार पर विध्दान न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाया और आजीवन कारावास से दंडित किया।

हत्या व बलवा का आरोपी थाने से हुआ फरार पुलिस टापती रह गयी

रायगढ़। कल बलवा व हत्या के आरोप में पकड़ा गया बृजकिशोर आज धर्मजयगढ़ पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। पुलिस अब उसको तलाश रही है। 2016 में होली के समय बांकारमा में बलवा हुआ था जिसमें जितेंद्र सारथी पर प्राणघातक हमला किया गया था। जितेंद्र सारथी की मौत इलाज के दौरान हो गई थी इसमें फरार आरोपी बृजकिशोर मुख्य आरोपी था 2016 से बृजकिशोर पुलिस को लगातार चकमा देकर फरार चल रहा था कल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि फरार आरोपी बृजकिशोर लैलूंगा में अपनी शिक्षाकर्मी पत्नी के साथ रह रहा है। तब धरमजयगढ़ पुलिस ने छापा मारकर उसे धर दबोचा लेकिन आज सुबह करीब 4 से 5 बजे जब उसे दिशा मैदान के लिए बाहर निकाला गया तो वह किस तरह हथकड़ी से स्वयं को छुड़ा कर थाने के सामने से ही निकल भागा। मामले की खबर लगते ही थाने में हड़कंप मच गया। पुलिस अब उसकी चारो तरफ तलाश कर रही है।

मामूली कहासुनी में पिता ने पुत्र की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या

रायगढ़। कापू क्षेत्र के ग्राम रतनपुर जलंगीटिकरा में एक पिता ने मामूली विवाद पर अपने पुत्र की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम नैहर साय उम्र 30 वर्ष है वहीं आरोपी पिता का नाम सुकुल साय उम्र 62 वर्ष है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपी के खिलाफ धारा 302 ता.हि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

रायगढ़। घरघोड़ा क्षेत्र के साल्हेपाली में रहने वाले एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक 8 जुलाई को अपने के घर के बाहर चबुतरे में लेटा था, जिसके कान से खून निकला हुआ था तथा सिर में चोट का निशान थे। युवक को ईलाज के लिये सीएचसी घरघोड़ा में भर्ती कराया गया था जहां 9 जुलाई की सुबह उसकी मौत हो गई। युवक का नाम सौदागर राठिया है। मामले में मर्ग जांच के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 302 ता.हि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

सूने मकान में चोरों का धावा, 60 हजार नकदी सहित सोने-चांदी के गहने ले उड़े चोर

रायगढ़। जुटमिल क्षेत्र के बाजीनपाली रहने वाले गैस मिस्त्री हरिलाल साहू उम्र 45 वर्ष के सूने मकान में अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए आलमारी में रखे 60 हजार नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले उड़े। घटना दिनांक को हरिलाल परिवार सहित पटनागढ़ उड़िसा गया हुआ था इसी दौरान चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 457, 380 ता.हि. पंजीबद्ध किया गया।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ा समलैंगिकता पर फैसला

नई दिल्ली (आरएनएस)। समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर किया जाए या नहीं, केंद्र सरकार ने यह फैसला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने धारा 377 पर कोई स्टैंड नहीं लिया और कहा कि कोर्ट ही तय करे कि 377 के तहत सहमति से बालिगों का समलैंगिक संबंध बनाना अपराध है या नहीं। अडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से कहा कि हम 377 के वैधता के मामले को सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ते हैं, लेकिन अगर सुनवाई का दायरा बढ़ता है, तो सरकार हलफनामा देगी।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की पांच जजों की बेंच सुनवाई कर रही है।बुधवार को भी इस मामले पर सुनवाई जारी रही। कोर्ट ने कहा है कि अगर दो बालिग व्यक्तियों के बीच आपसी सहमति से संबंध बनते हैं तो इसे अपराध करार नहीं दिया जा सकता।

इसके साथ ही केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि समलैंगिक विवाह, संपत्ति और पैतृक अधिकारों जैसे मुद्दों पर विचार न किया जाए क्योंकि इसके कई प्रतिकूल परिणाम होंगे। केंद्र ने साफ कहा कि दो वयस्कों के बीच सहमति से बनाए संबंधों से जुड़ी धारा 377 की वैधता के मसले को हम अदालत के विवेक पर छोड़ते हैं। उधर, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह खुद को इस बात पर विचार करने तक सीमित रखेगा कि धारा 377 दो वयस्कों के बीच सहमति से बनाए संबंधों को लेकर असंवैधानिक है या नहीं।

सरकार ने कोर्ट पर छोड़ा फैसला

धारा 377 पर केंद्र सरकार ने ऐफिडेविट के जरिए कोई पक्ष न रखते हुए पूरा फैसला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया है। अडिशनल सलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हम कोर्ट पर छोड़ते हैं कि वह तय करे कि 377 के तहत सहमति से बालिगों का समलैंगिक संबंध अपराध है या नहीं।

प्राइवेट पार्ट्स में छिपा रखे थे सोने के 6 बिस्किट, गिरफ्तार

मुंबई (आरएनएस)। शहर के एयरपोर्ट से मंगलवार को करीब 6.4 किलोग्राम सोने की तस्करी दो अलग-अलग मामलों में पकड़ी गई। इस सोने की कीमत करीब 1.80 करोड़ रुपए है। पहले मामले में कस्टम ने सूडान की दो महिलाओं नादा उमर और मानल उमर महमूद को गिरफ्तार किया, जो शारजाह से आ रही थीं।

इन दोनों महिलाओं के पास करीब 40 लाख कीमत का 1.4 किलो सोना बरामद हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन दोनों महिलाओं ने सोने के 6-6 बिस्किट अपने प्राइवेट पार्ट में छिपा रखे थे। दोनों की जब तलाशी ली गई तो इस बात का खुलासा हुआ।

दोनों महिलाओं से बरामद हुए सोने को जब्त कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्हें जमानत दे दी गई। उधर एक अन्य मामले में भी कस्टम ने करीब 5 किलो सोना बरामद किया। यह सोना दुबई से आई एक फ्लाइट से उतरे दो यात्रियों के पास से बरामद किया गया।

सलाम सिंह राठौड़ को 7 साल की सजा

नेवी वॉर रूम लीक केस

नई दिल्ली (आरएनएस)। नेवी वॉर रूम लीक केस में कैप्टन (रिटायर्ड) सलाम सिंह राठौड़ को सात साल की सजा सीबीआई की एक अदालत ने बुधवार को सुनाई। इस केस में दूसरे आरोपी जरनैल सिंह कालरा को कोर्ट ने बरी कर दिया।

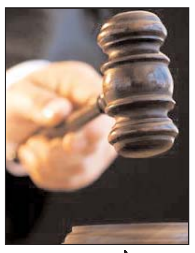

सलाम सिंह को नेवी वॉर रूम और एयरफोर्स हेडक्वॉर्टर से 7000 पन्नों के गोपनीय दस्तावेज और खुफिया जानकारी पैसों के लालच में अनजान लोगों को सौंपने को दोषी पाया गया। बता दें कि 2005 में नेवी वॉर रूम और एयर डिफेंस क्वॉर्टर से सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और गोपनीय सूचनाएं राठौड़ ने किसी अनजान शख्स को दी थी। किसी अनाधिकृत व्यक्ति को ये सूचनाएं देने के बदले में राठौड़ को पैसे मिले थे। ऑफिशल सीक्रेट ऐक्ट के तहत दोषी मानते हुए उसे सात साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। 2005 के शुरुआत में यह मामला तब सामने आया जब एक अन्य अधिकारी पर शादी के बाद अफेयर के आरोप लगे थे। उसी मामले की जांच के दौरान सलाम सिंह राठौड़ के गुनाह तक जांच टीम पहुंच सकी।

अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए ऋण लेने हेतु 25 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। अनुसूचित जनजाति वर्ग में स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु निगम द्वारा 2018-19 के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की गई है। उक्त योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक जो ऋण लेने के इच्छुक है वे 25 जुलाई 2018 शाम 5.30 बजे तक अपना आवेदन कार्यपालन अधिकारी/क्षेत्राधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कलेक्टर कार्यालय कक्ष क्रमांक 94 में जमा कर सकते है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन योजनाओं के तहत लक्ष्य प्राप्त हुए है इनमें आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, इकाई लागत 1 लाख रु. (केवल महिलाओं के लिए 4 प्रतिशत ब्याज दर पर), स्माल बिजनेस योजना इकाई लागत 1 लाख रु., स्माल बिजनेस योजना इकाई लागत 2 लाख रु., स्माल बिजनेस योजना इकाई लागत 3 लाख रु. (6 प्रतिशत ब्याज दर पर) तथा ट्रैक्टर ट्राली योजना इकाई लागत 8.71 लाख रु. (8 प्रतिशत ब्याज दर पर), पैसेंजर व्हीकल योजना, ईकाई लागत 5.23 लाख रुपए तथा गुड्स कैरियर योजना ईकाई लागत 4.80 लाख रुपए शामिल है।

रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ स्टील सिटी का शपथ ग्रहण समारोह 13 को होटल ट्रिनिटी ग्रैंड में

रायगढ़। रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ स्टील सिटी की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार 13 जुलाई को संध्या 7 बजे होटल ट्रिनिटी ग्रैंड में आयोजित किया गया है, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राकेश चतुर्वेदी एवं कार्यक्रम अध्यक्ष रोशनलाल अग्रवाल जी विधायक रायगढ़ एवं गेस्ट ऑफ ऑनर दीपक झा पुलिस अधीक्षक रायगढ़ होंगे।

पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राकेश चतुर्वेदी नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं नवीन कार्यकारिणी को शपथ दिलाएंगे जिसमें नवीन अध्यक्ष निर्वाचित रोटेरियन गौरीशंकर नरेडी, सचिव निर्वाचित रोटेरियन आशीष अरोरा होंगे, अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2018 -19 के लिए अपनी नवीन टीम का गठन किया गया जिसमें पूर्व अध्यक्ष विनोद बट्टी मार, आगामी अध्यक्ष प्रितपाल सिंह टुटेजा, क्लब ट्रेनर डॉ मनीष बेरीवाल, उपाध्यक्ष संजय सोनी, कमलेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश मोदी, सह सचिव अतुल रतेरिया, डायरेक्टर मे सर्विस प्रोजेक्ट सुशील रामदास, रोटरी फाउंडेशन विजय अग्रवाल, क्लब एडमिनिस्ट्रेशन विशाल सारस्वत, क्लब मेंबरशिप हितेश सुना लिया, पब्लिक रिलेशन दीपक अग्रवाल आरडीएस, लिटरेसी संतोष नायर, सरजेंट एट आर्मस पंकज गोयल, एडिटोरियल बोर्ड गिरधर अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, आशीष महामिया, राहुल अग्रवाल होंगे।

कार्यक्रम के चेयरमैन रोटेरियन प्रितपाल सिंह टुटेजा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ स्टील सिटी के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम मुख्य अतिथि, रोटेरियन सदस्यों एवं सभी गणमान्य अतिथियों के साथ शपथ विधि का कार्यक्रम अपनी पूरी गरिमा से के साथ 13 जुलाई को संध्या 7 बजे प्रारंभ होगा।

विदित हो कि रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ स्टील सिटी अपने सेवाभावी कार्यों के लिए सुविख्यात है, क्लब द्वारा रायगढ़ शहर में 30 वाटर कूलर की स्थापना की गई है जिससे आम राहगीरों एवं यात्रियों को ठंडे जल की प्राप्ति हो रही है, साथ ही क्लब द्वारा चार स्थानों पर सेनेटरी वेंडिंग मशीन की स्थापना की गई है जिससे कि गरीब लोगों को आसानी से सेनेटरी पैड प्राप्त हो सके। रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ स्टील सिटी इस वर्ष भी एक नई सोच तथा नई पहल के साथ सेवा भावना के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प सभी सदस्यों ने लिया है

कार्मेल स्कूल के बच्चों को लेकर ऑटो चालक और यातायात पुलिस आमने-सामने आखिर क्या वजह है

रायगढ़। कार्मेल स्कूल में बच्चों को छोड़ने आने वाले ऑटो चालकों की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई है। इस बार यातायात पुलिस और ऑटो चालक आमने सामने भिड़ गए हैं और ऑटो चालकों ने पालकों को उनके बच्चों को स्कूल लेने जा ने मना कर दिया है ऐसे में पलकों में हड़कंप मच गया है।

ऑटो चालकों ने मोर्चा खोल लिया और बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए मना कर दिया है। इसे लेकर सोशल मीडिया में खूब बवाल चल रहा है। ऑटो चालकों का कहना है कि जिस रास्ते से बच्चों को स्कूल छोड़ने की बात कह रहे हैं वह रास्ता बच्चों की मामले में कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। वही इस मामले में यातायात प्रभारी का कहना है कि ऑटो चालकों की मनमानी है। वहीं दूसरी ओर कार्मेल स्कूल प्रबंधन भी अपने अड़यिल रवैया पर कायम है जबकि ऐसा बिलकुल संभव है कि ऑटो चालक गेट के अंदर बच्चों को छोड़कर आसानी से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन प्रबंधन है कि स्कूल को अपनी जागीर बना रखा है और हर हाल में अपनी बात मनमानी पर उतारू है।

इधर ऑटो चालकों ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वह बच्चों को लेकर किसी भी हाल में पीछे की रास्ते से नहीं जाएंगे क्योंकि यह रास्ता बच्चों के लिहाज से किसी भी तरह सुरक्षित नहीं है यदि कोई घटना हो जाती है इसके जिम्मेदारी बच्चों के परिजन उन पर ही थोपेंगे।

ऐसी स्थिति में ऑटो चालकों ने मना कर दिया है कि वह उनके बच्चों को स्कूल लाना ले जाना नहीं करेंगे। इसे लेकर सोशल मीडिया में तीखी बहस शुरू हो गई है। सोशल मीडिया में स्कूल प्रबंधन को लेकर जमकर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं वहीं दूसरी ओर और पुलिस यातायात पुलिस ओर ऑटो चालक आमने-सामने आ गए हैं। यातायात प्रभारी ने मुनादी से चर्चा करते हुए कहा कि रास्ता कहीं से भी गलत नहीं है ऑटो चालकों को शार्ट कट अपनाने नहीं दिया जाएगा खतरा तो हर जगह है। अब देखना है कि इस मामले में ऊंट किस करवट बैठता है।

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र की
खरसिया,सारंगढ़, पुसौर, तमनार,घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर
एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

सामाजिक न्याय संघ
शासन से मान्यता प्राप्त
Registered with Govt. No. 5526
अधिकार से न्याय तक
क्या आपको लगता है कि सभी को जीने का समान अधिकार होना चाहिए और प्रत्येक पीड़ित मानव की भरसक सहायता की जानी चाहिए, तो, आईये हमारे साथ, हम सब मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण करें।
छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिले, तहसील, विकास खण्ड अथवा किसी भी ग्राम में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यदि किसी भी प्रकार की न्यायिक, गैर-न्यायिक, सामाजिक, राजनीतिक या गैर- राजनीतिक समस्या हो, तो समस्या को सुलझाने एवं न्याय प्राप्ति हेतु आवेदन आमंत्रित है।

क्र.	स्थान	पद
1	रायगढ़ जिला एवं समस्त ब्लॉक	45
2	सरगुजा जिला एवं समस्त ब्लॉक	35
3	जशपुर जिला एवं समस्त ब्लॉक	40
4	कोरबा जिला एवं समस्त ब्लॉक	25
5	जांजगीर-चांपा जिला एवं समस्त ब्लॉक	50

व्ही.टी.पी. कार्यालय : श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास रायगढ़ (छ.ग.)
प्रधान कार्यालय : रवि सदन, रवि विहार बस्तर बाड़ा रायपुर (छ.ग.)
सम्पर्क करें-9589876400, 9039961090
E-mail ID- sjunion29@gmail.com website : www.sjunion.org